15/6/17 प्रार्थीगण अपना मामला अपने स्तर से लोकायुक्त अंतर्गत में पेश हुई। प्रार्थी अनशन का एक बार स्वागीय हो चुका है। बार स्वागीय होने से एक प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः प्रार्थना पत्र स्वागीय किया जाता है। प्रार्थीगण चाहे तो अपना प्रार्थना पत्र दायर करें।

सहायक कलक्टर
श्रीडूंगरगढ़

Scanned by CamScanner